

- (1) अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - राजीव कुमार मिश्रा, राजम पुलिस सेवा।
 (2) प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान धारित पद - 02/01/1995/ स. आई. जी. (सी. आई. डी.), इन्दौर।
 (3) जन्मतिथि - 21/07/1976
 (4) वर्तमान वेतन- 07/17 अगली वेतनवृद्धि- 07/18

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया..... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
म. नं. - 66-67 प्रम शांति नैसिडेंसी ग्राम-कुमेड़ी तह. - शिवर जिला - इन्दौर म.प. (मकान)	मकान (गृह)		89,750/-	स्वयं के नाम पर			पत्र क्र. अ.अ.पु/ घा. 305/2012/ द्वारा प्रेषित।

- जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे।

हस्ताक्षर.....
 नाम..... राजीव कुमार मिश्रा
 पद..... स. आई. जी. (सी. आई. डी.)
 विभाग..... इन्दौर